

निष्पादन बजट वर्ष 2015-16

विभाग- सहकारिता विभाग

विभागाध्यक्ष-आयुक्त (सहकारिता) एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं,छत्तीसगढ़

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियां 2015-16	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	राशि हजार ₹ में		टिप्पणियां
					वास्तविक भौतिक	उपलब्धियाँ वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्त करण हेतु अनुदान	प्रदेश के कृषकों को कृषि कार्य हेतु ब्याज मुक्त अल्पकालिन ऋण उपलब्ध कराने से समितियों को होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति हेतु सहायता ।	1280000	लगभग 10,50,000 कृषकों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।	-	-	
2	सहकारी शक्कर कारखाना	सहकारी शक्कर कारखानों को व्यवसाय हेतु कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराना ।	550000	3 सहकारी शक्कर कारखाना को गन्ना पेराई हेतु कार्यशील पूंजी ऋण तथा नवीन सहकारी शक्कर कारखाना की स्थापना हेतु ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।	3 शक्कर कारखाना	490000	
3	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जशपुर को अनुदान	जशपुर जिले में नवगठित जिला सहकारी बैंक मर्यादित, जशपुर को प्रारंभ करने के लिए अनुदान उपलब्ध कराना ।	50000	एक सहकारी बैंक को बैंकिंग व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा ।	-	-	भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त न होने के कारण राशि व्यय नहीं की गई।
4	सहकारी समितियों के लिए अंशपूंजी	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां, सहकारी बैंक, सहकारी शक्कर कारखाना, विपणन समितियां, आदि को उनकी अंशपूंजी में ध्वेष्टन कर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना ।	32600	1. 01 छ.ग. राज्य सहकारी बैंक हेतु 2. 06 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक हेतु 3. 600 कृषि साख सहकारी समितियों हेतु 4. 01 सहकारी शक्कर कारखाना हेतु	- - 154 कृषि साख सहकारी समितियों 01 सहकारी शक्कर कारखाना	- - 1540 200000	नवीन सहकारी शक्कर कारखाना पंडरिया के लिए राशि 190000 का प्रावधान द्वितीय अनुपूरक अनुमान में किया गया है.

निष्पादन बजट वर्ष 2015-16

विभाग- सहकारिता विभाग

विभागाध्यक्ष-आयुक्त (सहकारिता) एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं,छत्तीसगढ़

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियां 2015-16	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	राशि हजार ₹ में		टिप्पणियां
					वास्तविक भौतिक	उपलब्धियां वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
				5. 06 विपणन सहकारी समितियों हेतु अंशपूजी द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जायेगी	04 विपणन सहकारी समितियों	2800	
5	विपणन सहकारी समितियों का सुदृढीकरण	विपणन सहकारी समितियोंको आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए विभिन्न व्यवसाय करने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना ।	8400	इस योजना के द्वारा 07 विपणन सहकारी समितियों को उनकी विभिन्न व्यवसाय हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जावेगी।	05 विपणन समितियां	7472	
6	अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को लैम्पस/प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के अंशकय हेतु अनुदान	अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को लैम्पस/प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का सदस्य बनाने के लिए अंशकय करने हेतु अनुदान उपलब्ध कराना ।	5000	इस योजना के द्वारा लैम्पस एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में 10,000 सदस्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को बनाया जावेगा ।	-	-	
7	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को बहुद्देशीय समितियों में उन्नयन	अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को बहुद्देशीय समितियों में उन्नयन करना ।	5000	अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की 5 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को कृषकों की आवश्यकता के अनुरूप उपभोक्ता सामाग्री का विक्रय एवं अन्य आवश्यक सेवाओं के व्यवसाय के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जायेगी ।	-	-	प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण राशि व्यय नहीं की गई।

निष्पादन बजट वर्ष 2015-16

विभाग- सहकारिता विभाग

विभागाध्यक्ष-आयुक्त (सहकारिता) एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं,छत्तीसगढ़

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियां 2015-16	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	राशि हजार ₹ में		टिप्पणियां
					वास्तविक भौतिक	उपलब्धियां वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
8	जनजाति सेवा समितियों को प्रबंधकीय अनुदान	आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों को उनकी होने वाली हाति की प्रतिपूर्ति हेतु प्रबंधकीय अनुदान उपलब्ध कराना ।	2500	लगभग 250 आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों को उनकी व्यवसाय में होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति हेतु प्रबंधकीय अनुदान उपलब्ध कराया जावेगा ।	-	-	
9	अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के सदस्यों को विपणन सहकारी समितियों के अंशक्य हेतु अनुदान	अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लोगो को विपणन साख सहकारी समितियों के सदस्य बनाने हेतु अनुदान उपलब्ध कराना ।	500	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के 5,000 व्यक्तियों को विपणन सहकारी समितियों के सदस्य बनाने एवं अंशक्य हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जावेगा ।	3	विपणन समितियां 150	
10	सूखा प्रभावित कृषकों के लिए कृषि ऋण राहत योजना	प्रदेश के सूखा प्रभावित तहसीलों के कृषकों को अल्पकालीन कृषि ऋण माफी हेतु सहायता उपलब्ध कराई जावेगी.	800000	प्रदेश के सूखा प्रभावित तहसीलों के पात्र 2.41 लाख कृषकों उनके बकाया अल्पकालीन कृषि ऋण की 75 प्रतिशत राशि निर्धारित अवधि तक जमा करने पर 25 प्रतिशत ऋण की माफी की जावेगी.	120515	800000	इस योजना हेतु तृतीय अनुपूरक अनुमान में राशि प्रावधानित की गई